ISSN 2278-8808 SJIF 2014 = 4.889
An International Peer Reviewed & Referred
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL
FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

# विशेष राज्य का दर्ज़ा: बिहार

**विनीत कुमार सिन्हा, Ph. D.**

*राजनीति विज्ञान विभाग, पी जी डी ए वी महाविद्यालय (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय*

*binit_sinha2004@yahoo.com*

**Abstract**

*बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस शोध पत्र के द्वारा इसकी संभावना खोजने की एक कोशिश की गई है। सैद्धांतिक मान्यता यह है कि कोई भी इकाई इतना न पिछड़ जाए कि सवाल संघीय स्वरूप पर होने शुरु हो जाए। जॉन रॉल्स ने भी उदारवादी विचारधारा से बाध्यता होने के बावजूद न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था में हीनतम को अधिकतम देने जैसे विमर्श को आगे बढ़ाया है। बिहार राज्य पिछड़ेपन के अपने हर स्तर पर सबसे आगे दिखता है और ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा देकर वहां की राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को सकारात्मक दिशा में बदला जा सकता है। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है वहां की स्थिति कमोबेश बेहतर है और निरंतर वैसे राज्य अपने सभी मानदंडों पर अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिहार के राजनीतिक नेतृत्व विकास और कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रयासरत नहीं हैं। अपने सामर्थ्य और सीमाओं में रहते हुए तथा शासन कार्य सुनिश्चित करते हुए निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। चुनौती और समस्याएं चूंकि बड़ी है इसलिए समय भी अपेक्षाकृत अधिक लग सकता है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग जायज प्रतीत होती है।*

***की- वर्ड्स:*** *संघीय समाज, बहुसांस्कृतिक, राजनीतिक सक्रियता,जॉन रॉल्स, विशेष दर्जा, कल्याणकारी स्वरूप, गाडगिल सूत्र, संसाधन अभिशाप*

*Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com*

**प्रस्तावना:**

छह दशक से अधिक बीत चुके हैं। आजादी के इतने लंबे अंतराल के बाद भी बहुसांस्कृतिक भारतीय संघीय समाज रूपी एक कड़ी की न जाने कितनी इकाइयां पिछड़ कर काफी दूर चले गये। इनमें एक बिहार राज्य भी है। सामाजिक रूप से जकड़ा हुआ, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, लेकिन राजनीतिक रूप से बिहार काफी सक्रिय हैं। यह राजनीतिक सक्रियता कभी नकारात्मक तो कभी सकारात्मक रही है। विशेष राज्य की मांग से संबंधित सक्रियता में सकारात्मकता भी है और शुभ कार्यों के लिए एक जिद भी। इसी जिद का एक सुखद परिणाम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा रुपी मांग में ढूंढा जा सकता है।

उदारवादी राजनीतिक परंपरा के एक संरक्षक जॉन रॉल्स अपनी महत्वपूर्ण कृति 'द थ्योरी ऑफ जस्टिस (1971)1' में मजबूती से यह तर्क रखते हैं कि कोई भी समाज न्यायपूर्ण तभी हो सकता है जब उनके सबसे कमजोर कड़ी के लिए अधिकतम की व्यवस्था की जाए अर्थात जो कमजोर हैं उन्हें अधिक दिया जाए। यह बेंथमवादी परंपरा के विपरीत एक सैद्धांतिक मान्यता है। बेंथमवादी परंपरा में अधिकतम को अधिकतम सुख2 देने की वकालत हुई है भले ही उस परंपरा में हीनतम का शोषण एवं वंचन और अधिक क्यों ना होता रहे। हीनतम के साथ होने वाले

अन्याय की समाप्ति कब होगी इस परंपरा में कोई तार्किक जवाब नहीं मिलता है। व्यवस्था की रॉल्सियन दृष्टिकोण राज्य के कल्याणकारी स्वरूप एवं उसके दायित्व के पुनर्स्थापना की मांग करता है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की ऐसे मांग को सामाजिक न्याय पर आधारित इस रॉल्सियन व्यवस्था द्वारा सैद्धांतिक समर्थन दिया जा सकता है। श्री नीतीश कुमार ने न केवल बिहार के लिए बल्कि उन तमाम पिछड़े राज्यों के लिए ऐसी ही विशेष व्यवस्था की मांग की है जो आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं।

बिहार की माली हालत आजादी के पूर्व अपेक्षाकृत बेहतर रही है। आजादी के बाद साठ के दशक में फ्रेट समानीकरण3 की नीति लाई गई जो 1993 तक चलती रही4। इस नीति के तहत प्राकृतिक खनिज वाले राज्यों से बाहर के राज्यों में खनिजों को ले जाना था जिससे कि औद्योगिक विकास किया जा सके5। इस नीति ने न केवल खनिज प्रधान राज्यों के भीतर औद्योगिकरण की प्रक्रिया को धीमा किया बल्कि खनिजों के ढुलाई की कीमतों को भी कम करने पर बाध्य कर दिया, ताकि सुदूर राज्यों में खनिजों की परिवहन लागत को कम किया जा सके। ऐसे में, खनिज प्रधान राज्यों को प्राकृतिक एवं प्रतिस्पर्धी लाभ से वंचित होना पड़ा6। एक अनुमान के अनुसार इस नई नीति के कारण केवल इस्पात के संबंध में बिहार सरकार को तकरीबन 112812 करोड़7 रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ है। दुखद स्थिति यह है कि अभी तक इस नीति द्वारा कोयला एवं सीमेंट पर होने वाले नुकसान के आकलन का कोई प्रयास तक नहीं हुआ है।

फ्रेट समानीकरण नीति का प्रारूप 1964 में तत्कालीन भारतीय वित्त मंत्री श्री टी टी कृष्णमाचारी द्वारा तैयार किया गया था। उद्देश्य यह था कि पूरे भारतवर्ष में एक समान कीमतों पर प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। इससे देश के पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को काफी नुकसान हुआ है जबकि पश्चिमी, उत्तर दक्षिणी राज्यों को काफी लाभ मिला। पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों विशेषकर गुजरात एवं महाराष्ट्र को काफी लाभ हुआ। दक्षिण के राज्यों में लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट जैसे खनिजों की सीमेंट उद्योगों के लिए काफी ढुलाई की जाती रही है8। ऐसे में उत्तर के राज्यों में विशेषकर दिल्ली और पंजाब खूब लाभान्वित हुए9। इसके विपरित, पश्चिम बंगाल, बिहार (झारखंड सहित), मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित) तथा उड़ीसा के लिए खनिज संसाधन अभिशाप(Resource Curse) बना। इन राज्यों की स्थिति ऐसी बना दी गयी जैसे कि सब सहारन अफ्रीका देशों10 के थे। फ्रेट समानीकरण की नीति ने खनिज ढुलाई की लागत पूरे भारतवर्ष के लिए एक समान बना दिया,इससे हुआ यह कि उद्योग खनिजों के पास ना आकर खनिजों को उद्योगों के पास ले जाया गया।

बाजार एवं व्यक्ति केंद्रित विकास के इस नीतिगत माहौल में सार्वजनिक निवेश के साथ-साथ निजी निवेश के अपने मायने हैं। लेकिन बिना आधारभूत सुविधा के निजी क्षेत्र निवेश कैसे और क्यों करें? यह सवाल बड़ा है। आधारभूत संरचना का अभाव और प्रति व्यक्ति आय के अपने न्यूनतम स्तर पर होने से ऐसे निवेश को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा टैक्स छूट की घोषणा, निजी निवेशकों के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य कर सकती है। यदि विशेष राज्य का दर्जा बिहार और अन्य पिछड़े राज्यों को मिलता है तो इस वजह से संघीय वित्तीय सहयोग और कर छूट के प्रावधान का बिहार एवं अन्य राज्यों को लाभ मिल पाएगा। 1969 में केवल 3 ऐसे राज्य थे जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा देते हुए वित्तीय बंटवारे का गाडगिल सूत्र विकसित किया गया था। वर्तमान में,

जम्मू-कश्मीर,हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के साथ-साथ उत्तर पूर्व के 7 राज्यों सहित 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है।

ऐसे विशेष राज्य का दर्जे के संकेतकों को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्गीकरण उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया तथा दूसरा वर्गीकरण योजना आयोग के द्वारा। इस वर्गीकरण के संकेतकों का यदि सूक्ष्म विश्लेषण करें तो केवल कम जनसंख्या घनत्व (योजना आयोग द्वारा वर्णित) के आधार पर बिहार विशेष राज्य के दर्जे से वंचित है। बिहार का जनसंख्या घनत्व पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक है। जहां भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 382 है तो वही बिहार का 110211। तेंदुलकर समिति के सूत्रों के आकलन के आधार पर लगभग 10.50 करोड़ आबादी वाले बिहार की आधे से अधिक नागरिक (53.50%) गरीब है जबकि यह आंकड़ा देश का औसत 29.8% से काफी अधिक है। भारत के कुल गरीबों की संख्या में बिहार का योगदान 15.32% के बराबर है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बिहार के औसत प्रति व्यक्ति आय में साठ प्रतिशत12 का विशाल अंतर है।

बिहार पूरे भारतवर्ष के राज्यों में सबसे कम (63.82%) साक्षरता वाला राज्य है। बिहार के उच्चतम साक्षरता वाले रोहतास जिले की साक्षरता दर (75.59%) भारत के औसत साक्षरता दर के लगभग बराबर है। सर्वाधिक गरीबी और सर्वाधिक निरक्षरता के कारण बिहार अपने दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25% से13 अधिक तेजी से बढ़ रहा है, जिसका परिणाम न केवल बिहार को बल्कि पूरे भारतवर्ष को चुकाना पड़ सकता है। बिहार का क्षेत्रफल जो दक्षिण कोरिया के क्षेत्रफल के बराबर है14, पूरे भारतवर्ष के औसत क्षेत्रफल में केवल 2.86% का योगदान करता है। वही, जनसंख्या के संदर्भ में योगदान बढ़कर 8.57% तक पहुंच जाता है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार में 14% से भी अधिक का अंतर है15। दूसरी ओर, प्रति एक लाख जनसंख्या पर 3.99 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होता है जबकि राष्ट्रीय औसत 6.17 किलोमीटर के बराबर है16।

प्राकृतिक संसाधनों के नाम पर सूचनाएं एवं जानकारी केवल उर्वरक भूमि एवं पानी तक सीमित रहती है। यदि जलीय विभाजन की बात करें तो भौम जल पश्चिमी बिहार में आर्सेनिक तो पूर्वी बिहार में फ्लूरोसिस जैसे गंभीर प्रदूषक से प्रदूषित हो चुकी है। सतही जल की विडंबना हम लोग प्रत्येक वर्ष कोसी विभिषका के रूप में देखते ही हैं। बिहार के 38 जिलों में से 28 बाढ़ प्रभावित है तो शेष बचे 10 जिलों में से 6 सूखा प्रभावित क्षेत्र। 76% जनसंख्या और 73.06% क्षेत्रफल भूमि बाढ़ के भय से ग्रसित है17। ऐसे में न तो भूमि की उर्वरता और न ही पानी की उपयोगिता ही सिद्ध हो पाती है। 90% बिहार के लोग गांव में रहते हैं और उसमें से लगभग 85% के बराबर लोग अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं18। यह एक त्रासदी जैसी ही है कि इतने अधिक जनसंख्या का भार वहन करने वाला कृषि क्षेत्र 1% से भी कम गति से आगे बढ़ रहा है19। इतना ही नहीं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान तकरीबन 41% है, जहां रोजगार जनन की भरपूर संभावना थी उसकी वृद्धि दर अपने न्यूनतम स्तर पर है। कृषि में निवेश से संबंधित आवश्यकताएं 25 हजार करोड़ रुपए की थी जबकि केवल ₹1600- ₹1700 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं20। यह केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति के सामाजिक आर्थिक परिणाम की गंभीरता की ओर इशारा करती है।

बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और वहां की नागरिकों को एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अवसर देने के लिए श्री नीतीश कुमार जी जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को संवेदनशीलता के साथ समर्थन देने की जरूरत है। यदि प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो (2011-2012) विशेष राज्य दर्जा प्राप्त सभी राज्यों में यह बिहार से काफी अधिक है। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में प्रति व्यक्ति आय ₹50 हजार से अधिक है, वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यह आंकड़ा या तो 70 हजार के आसपास है या फिर इससे बहुत ही अधिक। सिक्किम में यह ₹ एक लाख से भी अधिक है। केवल असम, जम्मू-कश्मीर एवं मणिपुर ऐसे राज्य हैं जहां प्रति व्यक्ति आय 32 हजार से 40 हजार रुपए के बीच है। यहां भी आय बिहार से ज्यादा ही है। इसी कड़ी में यदि बिहार के प्रति व्यक्ति आय की बात कर लें तो यह पूरे भारतवर्ष में सबसे कम (₹25 हजार से भी कम) है21। इस पिछड़ेपन और वेतन की पृष्ठभूमि में बिहार को वित्तीय मदद और कई प्रकार के सहयोग समर्थन की आवश्यकता है, भले ही उसे शब्दों के संदर्भ में विशेष राज्य दर्जा कहें या विशेष पैकेज।

उपर्युक्त विशाल चुनौतियों की पृष्ठभूमि में बिहार के लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने विशेष राज्य का दर्जा की मांग किया है। श्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि यह बिहारी जनता का अधिकार है, इसे देना ही होगा। हमें न दाएं देखना है और ना बाएं, जो हमें यह अधिकार देगा उसे ही आगे के निर्वाचन में राष्ट्रीय सरकार के गठन में समर्थन किया जाएगा। यह जाति, धर्म, भाषा और तमाम विभेदकारी राजनीति से ऊपर उठने वाली शुभ कार्य को करने के लिए एक राजनीतिक जिद है। दिल्ली में होने वाली अधिकार रैली कोई अकस्मात घटना नहीं थी, इससे पूर्व 4 नवंबर 2012 को ऐसी ही रैली का पटना में आयोजन किया गया था, जो अपने संदर्भ में ऐतिहासिक रही। उत्तर-स्वतंत्रता काल की सबसे बड़ी रैली,जो अपने हक की लड़ाई के लिए था। इसकी अगली कड़ी में 17 मार्च 2013 को दिल्ली में आयोजित किया गया अधिकार रैली किसी भी राज्य द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में की जाने वाली सबसे बड़ी राजनीतिक रैली सिद्ध हुई है। इसके सकारात्मक परिणाम भी निकलते देखे जा रहे हैं। इस बात पर चर्चा और विमर्श होना हमारे तर्क को सिद्ध करता है।

विशेष राज्य दर्जा मांगने से पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने राज्य में सीमित संसाधन के बावजूद विकास की नई कहानी लिखने का कार्य किया है। सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है। इससे एशियाई विकास बैंक ने भी सराहते हुए भविष्य के किसी ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय मदद देने की पेशकश किया है22। बिहार सड़क निर्माण विभाग प्रतिदिन 41 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य कर रहा है। तकरीबन 98% गांव को ग्रामीण सड़क नेटवर्क के तहत जोड़ा गया है, इसकी लंबाई 36232 किलोमीटर है23। गांव में बिजली पहुंचाई गई है बावजूद इसके कि बिहार में केवल 540 मेगा वाट की ही

बिजली उत्पादित हो पाती है। बिजली खपत की बात करें तो बिजली की खपत बिहार में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय खपत 778 किलो वाट से बहुत ही कम है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत केवल 122 किलो वाट की है24। स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन के संकेत परिलक्षित होते दिख रहे हैं। दोषियों को सजा देने में बिहार पूरे भारतवर्ष में अव्वल रहा है। भ्रष्टाचारियों की संपत्ति अधिग्रहण तथा उनसे संबंधित न्यायिक जांच तेज करने के लिए

बिहार राज्य ने विशेष न्यायालय बिल पास किया है। 2011 में सेवा के अधिकार से संबंधित बिल पास किया गया जिसमें एक निश्चित समय में सेवाओं को दिए जाने का प्रावधान सुनिश्चित हुआ है।

इन सारे सकारात्मक परिवर्तनों का परिणाम यह है कि वर्तमान में बिहार के पास हजारों करोड़ से अधिक के निवेश आशय पत्र आए25। इस परिवर्तित माहौल में यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो केवल उत्पादन के साधनों को मुहैया कराने वाला बिहार पूरे भारतवर्ष की उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। योजना आयोग ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि बिहार की समस्याएं एवं चुनौतियां विशेष प्रकार की है। अतः बिहार को विशेष सहायता एवं पैकेज मिलना चाहिए। इसके साथ ही ऐसा भी कहा गया है कि विशेष राज्य दर्जा दिया जाना राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है। अतः यह जिम्मेदारी परिषद को ही निभानी चाहिए। योजना आयोग केवल विशेष पैकेज दे सकती है और बिहार की समस्याओं को विशेष मानते हुए अतिरिक्त दो हजार करोड़ देने की घोषणा भी हुई थी।

विशेष दर्जा की स्थिति में राज्यों को उत्पादन शुल्क में छूट मिलती है, जिससे औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज होती है। तदुपरांत, रोजगार के नए-नए अवसर बढ़ते हैं और गरीबी भी एक सीमा तक घटती है। इसके अतिरिक्त उनके योजनागत व्यय के लिए केंद्रीय सरकार की कुल बजट के सहायता का 30% सहयोग मिल पाता है। केंद्रीय प्रायोजित सभी योजनाओं एवं नीतियों में ऐसे राज्य 90% अनुदान के रूप में जबकि केवल 10% ऋण के रूप में प्राप्त करता है। सामान्य राज्यों की स्थिति में यह अनुपात 70:30 है। अतः विशेष राज्य दर्जा की स्थिति में 20% अनुदान में वृद्धि हो जाती है और इतना ही प्रतिशत ऋण भुगतान का दायित्व भी कम हो जाता है। इसके साथ ही विशेष राज्य दर्जा वाला राज्य अन्य संघीय मदद तथा टैक्स ब्रेक का फायदा ले पाता है।

विशेष राज्य के दर्जा का गाइडलाइन्स साठ के दशक में निर्धारित किया गया था। यह वह दशक है जिसके प्रारंभ के क्रमशः दो वर्षों 1962 में चीन के साथ तो 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत को सैन्य युद्ध लड़ना पड़ा था। सैन्य युद्ध की इसी पृष्ठभूमि में गाइडलाइंस बनाए गए थे। परिणामत: विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को ही मिल पाया जो इन देशों के साथ सीमायी संबंध रखते थे। तब से लेकर 1991 में अपनाई गई नव -उदारवादी आर्थिक नीतियों और फिर 21वीं सदी में बदले तेवर की परिस्थितियों में मांगो और आवश्यकताओं की प्रकृति में काफी बदलाव आए हैं। साठ के दशक जैसी न तो आज परिस्थिति है और न ही उसकी जरूरत ही। नई आर्थिक नीति उन राज्यों के ज्यादा अनुकूल रही है जिनके पास मानवीय संसाधन एवं भौतिक आधारभूत संरचना गुणवत्तापूर्ण एवं सुदृढ़ रही है। इसने नए नए अवसरों का सृजन तो किया है लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ाने के साथ-साथ क्षेत्रीय एवं आर्थिक विषमताओं को और भी गहरा किया है। परिणामस्वरूप दुखदायी प्रवसन भी बड़े हैं और विभाजित करने वाली राजनीति की तीव्रता भी आगे बढ़ी है। अतः उन गाइडलाइंस की समीक्षा एवं उसमें बदलाव के साथ-साथ उसे विस्तृत करने की भी आवश्यकता है।

कुछ विद्वानों की यह सोच हो सकती है कि बिहार के पिछड़ेपन के लिए नेतृत्व वर्ग के साथ-साथ समान रूप से वहां के नागरिक जिम्मेदार है, बिहार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया है। अतः वहां के शासन प्रशासन की नीतिगत गलतियों के लिए शेष भारतीय नागरिकों पर किसी भी प्रकार का वित्तीय दबाव और

भार नहीं दिया जाना चाहिए। मगर इन मांगों के प्रतिनिधियों को फ्रेट समानीकरण से वित्तीय नुकसान के प्रश्न का भी संतोषप्रद उत्तर देना चाहिए। उन कारणों का समाधान आधारित खोज की जरूरत है जिसने खनिज प्रधान राज्यों को पिछड़ेपन के कगार पर जाने को मजबूर किया है एवं उनकी कीमतों पर कुछ राज्य अपने समृद्धि पर इतरा रहे हैं। अब तो स्थिति वह भी नहीं है कि बिहार के पास कहने के लिए ही सही अपने खनिज संसाधन हैं। इन सारे प्रश्नों का समाधान आधारित उत्तर देना भी प्रश्नकर्ता की जिम्मेदारी बनती है।

**निष्कर्ष:**

मेरा तर्क इसके राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित है। भारतीय संघीय व्यवस्था एक संपूर्ण माला(चेन) की तरह है और विभिन्न राज्य उसकी अलग-अलग कड़ियां। कोई हमें यह बताएं कि वह संपूर्ण माला अपने सबसे कमजोर कड़ी से मजबूत कैसे हो सकती है। बिहार, भारत रूपी संपूर्ण माला का एक सबसे कमजोर कड़ी है। हर स्तर पर बिहार की स्थिति पिछड़ेपन और वंचन की कहानी कहती है। भारत हर स्तर पर बिहार से इस संदर्भ में मजबूत कैसे हो सकता है। अतः न केवल भारत सरकार की बल्कि तमाम विकसित राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि इस कमजोर कड़ी की मजबूती के लिए सामूहिक प्रयास करें जिससे भारतीय संघीय व्यवस्था बिखरने से बची रहे। इस नव- उदारवादी व्यवस्था में हमें हाथ खींचने की जरूरत नहीं बल्कि एक साथ मिलकर हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस विशेष राज्य दर्जा की मांग के सहारे बिहार के साथ-साथ पूरे भारत की मजबूती और समृद्धि के लिए राजनीतिक जिद कर रहे हैं।

**संदर्भ:**


1. *राल्स, जॉन(1971)' द थ्योरी आॅफ जस्टिस , पृ 302 रिवाइज्ड एडिसन(1999), बेल्कनेप प्रेस आॅफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पृ 47.*
2. *मिशेलबैक, फिलिप ए.(2011) 'फिल्दी लूक्रे द फाल्स? डायकोटॉमी आॅफ जस्टिस एंड एफिसियंसी' इन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमिनिटिज एंड सोशल सायंस, वोल्यूम I, नं 10, अगस्त 2011, पृ. 28-29.*
3. *गुप्ता, शैवाल' स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर बिहार: ए नेशेसिटी द बिहार टाइम्स: ए पैसेज आॅफ बिहार, 21-11-2012*
4. *सिंह, नंदकिशोर(2007)' द पॉलिटिक्स आॅफ चेंज: ए रिंगसाइड व्यू, पेंगुइन बुक्स इंडिया, पृ.237*
5. *टूमन, मायकल ए., युजयंत चक्रवर्ती, श्रीकांत गुप्ता(2003)' इंडिया एंड वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज: पर्सपेक्टिव आॅन इकाॅनिमिक एंड पॉलिसी फ्राॅम डेवलपिंग कन्ट्री, पृ.58*
6. *कंपाइल्ड एंड कम्प्यूटेड फ्रॉम en.wikipedia.org/wiki/frieght equalization policy*
7. *गुप्ता, शैवाल' स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर बिहार: ए नेशेसिटी द बिहार टाइम्स: ए पैसेज आॅफ बिहार, 21-11-2012.*
8. *सेन, राजकुमार' वेस्ट बंगाल टुडे: 25 इयर्स आॅफ इकॉनोमिक डेवलपमेंट, 1 जनवरी 2007, दीप एंड दीप पब्लिकेशन, पृ.11*
9. *प्रसाद, के एन' इंडियाज इकॉनोमिक प्रोब्लम: रिजनल आस्पेक्ट(1 जनवरी 1995), एम डी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, पृ.107*
10. *रुपारेलिया, संजय, संजय रेड्डी, डॉ जॉन हैरिस' अंडरस्टैंडिंग इंडियाज न्यू पॉलिटिकल इकॉनमी (9 मार्च 2011), टेलर एंड फ्रांसिस, पृ.68*
11. *कंपाइल्ड एंड कम्प्यूटेड फ्रॉम gov.bih.nic.in/profile/default.htm.*
12. *गवर्नमेंट ऑफ बिहार, प्रजेंटेशन आॅन 12 वीं फाइव ईयर प्लान(2012-2017) एंड एनुअल प्लान(2012-13), स्लाइड 4, पृ.2*
13. *कंपाइल्ड एंड कम्प्यूटेड फ्रॉम gov.bih.nic.in/profile/default.htm.*
14. *. कंपाइल्ड एंड कम्प्यूटेड फ्रॉम en.wikipedia.org/wiki/List_of_status_and_territories_of_India_by_area.*

15. द टाइम्स आॅफ इंडिया, दिसंबर 9,2812, नीतीश राइट्स टू पीएम फॉर स्पेशल स्टेटस टू बिहार
16. बिहार प्रभा बिहार टू कन्वर्ट 2981 किमी रोड्स टू नेशनल हाइवे, 1 मई 2011.
17. फ्लड मैनेजमेंट इंफोर्मेशन सिस्टम, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट आॅफ बिहार आॅन fmis.bih.nic.in/history-html.
18. कंपाइल्ड एंड कम्प्यूटेड फ्रॉम www.bameti.org/pdf/state_profile_pdf, पृ.1
19. गवर्नमेंट ऑफ बिहार, प्रजेंटेशन आॅन 12 वीं फाइव ईयर प्लान(2012-2017) एंड एनुअल प्लान(2012-13)
20. बिहार एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट: ऑपरचुनैटी एंड चैलेंजेज- ए रिपोर्ट आॅफ द स्पेसल टास्कफोर्स आॅन बिहार, पृ.1, आॅन planning commission.wic.in
21. पर कैपिटा इनकम इन वैरियस स्टेट्स आॅन track.in/tags/business/2012/03/30/average-per- capita-income-indian-states.
22. यहां मैंने प्रति व्यक्ति आय को औसत के रूप में दिखाया है। विशेष राज्य दर्जा प्राप्त राज्यों के प्रति व्यक्ति आय निम्नलिखित हैं( सभी रूपये में-2011/12)
23. मेघालय-56543, नागालैंड-56116, मिजोरम-50750, हिमाचल प्रदेश-73608, उत्तराखंड-75604, अरूणाचल प्रदेश-62213, सिक्किम-121440, असम-33633, जम्मू-कश्मीर-41833, मणिपुर-32284, बिहार-24681
24. कंपाइल्ड एंड कम्प्यूटेड फ्रॉम www rediff.com/money/report/bihar-roads-construction-praised-by adb/20130131:htm.
25. बिहार प्रभा बिहार एड्स 41 किमी, टोटल रोड लेंथ एवरीडे, 7 मार्च, 2013
26. द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिसंबर 9, 2012' नीतीश राइट्स टू पीएम फॉर स्पेशल स्टेटस टू बिहार
27. दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, निशिकांत ठाकुर , विशेष राज्य का दर्जा ही क्यों? 26 मार्च 2013, पृ.9